

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग

दूरभाष:-2415091-95, फेक्स:-0294 - 2410526

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC IX)/2024/ई-06939

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेकों की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31-03-2026 तक रहेगी। निम्न ठेकों को वार्षिक ठेका राशि पर ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित की जाती है :-

क्र.स.	ठेका क्षेत्र का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	168	खनि अभियन्ता, बीकानेर	जिला बीकानेर की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम से अधिक अधिशुल्क व डी.एम. एफ.टी. तथा खातेदारी भूमि में जारी जिप्सम के परमिटों से निर्गमित खनिज जिप्सम	ईआरसीसी एवं आरसीसी	जिप्सम	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम. एफ.टी., आर.एस.एम. ई.टी, प्रिमीयम शुल्क व परमिट शुल्क	902850400	26.06.2024	27.06.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	231	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील चित्तौड़गढ़ के क्वारी क्षेत्र सावा-न्यू-सावा में खनिज लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी) के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी)	आरसीसी	लाईमस्टोन (शिङ्गूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/ माप)	अधिशुल्क, डी.एम. एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	4822800	26.06.2024	27.06.2024	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर
3	21	सहायक खनि अभियन्ता सावर	संपूर्ण जिला अजमेर, ब्यावर (तहसील जैतारण, रायपुर व बदनोर को छोड़कर) एवं केकड़ी (तहसील टोडारायसिंह को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाइट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट व ग्रेनाइट खण्डा (जिसका उपयोग चुनाई पत्थर के रूप में हो)	ईआरसीसी	ग्रेनाइट व ग्रेनाइट खण्डा	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	519820100	26.06.2024	27.06.2024	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Designation : Director
Date: 2024.06.14 19:15:08 IST
Reason: Approved



4	165	खनि अभियन्ता, सौजतसिटी	संपूर्ण जिला पाली एवं जिला ब्यावर की तहसील जैतारण की राजस्व सीमा में खनिज लाईमस्टोन (अप्रधान) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (अप्रधान)	ईआरसीसी	लाईमस्टोन (अप्रधान)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	274994400	26.06.2024	27.06.2024	11.30 पी.एम. से 01.30 पी.एम.
5	213	खनि अभियन्ता, बाडमेर	जिला बाडमेर एवं जिला बालोतरा (तहसील सिवाना एवं समदडी को छोड़कर) की खनिज जिप्सम के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम व खातेदारी भूमि में खनिज जिप्सम के परमिटों से निर्गमित खनिज जिप्सम	आरसीसी / ईआरसीसी	जिप्सम	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी., प्रिमीयम शुल्क व परमिट शुल्क	215367900	26.06.2024	27.06.2024	12.30 पी.एम. से 02.30 पी.एम.
6	102	सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव	जिला उदयपुर की तहसील खेरवाडा व ऋषभदेव की राजस्व सीमा में खनिज सरपेनटाईन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सरपेनटाईन	ईआरसीसी	सरपेनटाईन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	94398700	26.06.2024	27.06.2024	01.30 पी.एम. से 03.30 पी.एम.
7	166 (212)	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेड़ता व रियाबड़ी की राजस्व सीमा में खनिज चायनाकले, क्वार्टज, फेल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन व सिलिकासेण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चायनाकले, क्वार्टज, फेल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन व सिलिकासेण्ड	ईआरसीसी	चायनाकले, क्वार्टज, फेल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन व सिलिकासेण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	75412200	26.06.2024	27.06.2024	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
8	221	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर, सीमलवाडा, चीखली एवं झौथरी की राजस्व सीमा में खनिज सरपेनटाईन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सरपेनटाईन	ईआरसीसी	सरपेनटाईन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	39731000	26.06.2024	27.06.2024	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
9	78 (194)	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाडा व पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खनिज रॉयोलॉइट व मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रॉयोलॉइट व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	रॉयोलॉइट व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	34916500	26.06.2024	27.06.2024	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Designation : Director
Date: 2024.06.14 19:15:08 IST
Reason: Approved

10	253	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना	जिला नीमकाथाना की तहसील नीमकाथाना एवं पाटन की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल (शिङ्गल-11 के अनुसार गुणवत्ता/ माप /आकार)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	34255800	26.06.2024	27.06.2024	03.30 पी.एम. से 05.30 पी.एम.
11	73	खनि अभियन्ता सोजत सिटी	जिला पाली की तहसील पाली, मारवाड जंक्शन, सोजत व रोहट (ग्राम रोहट, सिणगारी, दूदली व उन्दरा को छोड़कर) एवं जिला ब्यावर की तहसील जैतारण की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन व रायोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन व रायोलाईट	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन व रायोलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	29748600	26.06.2024	27.06.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
12	5	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील नागौर, मूण्डवा एवं जायल के राजस्व ग्राम रोल की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	22859100	26.06.2024	27.06.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
13	79	खनि अभियन्ता जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील जोधपुर की राजस्व सीमा में खनिज रायोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रायोलाईट	ईआरसीसी	रायोलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	14275100	27.06.2024	28.06.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
14	72	खनि अभियन्ता सोजत सिटी	जिला पाली की तहसील रोहट के ग्राम रोहट, सिणगारी, दूदली, उन्दरा की राजस्व सीमा में खनिज रायोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रायोलाईट	ईआरसीसी	रायोलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1473400	27.06.2024	28.06.2024	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर
15	201 (215)	खनि अभियन्ता ब्यावर	जिला ब्यावर की तहसील ब्यावर, मसूदा, विजयनगर व टाडगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन, शिष्ट व फिलाईटशिष्ट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन, शिष्ट व फिलाईटशिष्ट	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन, शिष्ट व फिलाईटशिष्ट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	8162200	27.06.2024	28.06.2024	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Designation : Director
Date: 2024.06.14 19:15:08 IST
Reason: Approved

16	177	सहायक खनि अभियन्ता, टोंक	जिला टोंक की संपूर्ण राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार, माईका एवं सिलिका सैण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार, माईका एवं सिलिका सैण्ड	ईआरसीसी	क्वार्टज, फ़ैल्सपार, माईका एवं सिलिका सैण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	54718200	27.06.2024	28.06.2024	11.30 ए.एम. से 01.30 पी.एम.
17	84	खनि अभियन्ता बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील बाडमेर ग्रामीण के गांव भाड़खा, कपूरड़ी व रोहिली की राजस्व सीमा में खनिज मुलतानी मिट्टी के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मुलतानी मिट्टी	ईआरसीसी	मुलतानी मिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2373100	27.06.2024	28.06.2024	12.30 पी.एम. से 02.30 पी.एम.
18	251	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	जिला जैसलमेर की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिक अधिशुल्क व डी.एम.एफ.टी एवं खातेदारी भूमि में खनिज जिप्सम के परमित क्षेत्रों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क, प्रिमीयम शुल्क, परमित शुल्क, डी.एम.एफ.टी व आरएसएमईटी	आरसीसी / ईआरसीसी	जिप्सम	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, प्रिमीयम शुल्क, परमित शुल्क, डी.एम.एफ.टी एवं आरएसएमईटी	161823300	27.06.2024	28.06.2024	01.30 पी.एम. से 03.30 पी.एम.
19	88	खनि अभियन्ता, कोटा	जिला कोटा की तहसील लाडपुरा की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन व सेण्डस्टोन के खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	21282600	27.06.2024	28.06.2024	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
20	230	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी	जिला पाली की तहसील सोजत की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	8296900	27.06.2024	28.06.2024	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
21	23	खनि अभियन्ता करौली	जिला करौली की राजस्व सीमा में खनिज सेण्डस्टोन व मिलस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज सेण्ड स्टोन व मिलस्टोन	ईआरसीसी	सेण्डस्टोन व मिलस्टोन (शिड्यूल-ना के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	157661900	27.06.2024	28.06.2024	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Designation : Director
Date: 2024.06.14 19:15:08 IST
Reason: Approved

22	70	खनि अभियन्ता सिरोही	जिला सिरोही की तहसील रेवदर, आबुरोड़, पिण्डवाड़ा, सिरोही व शिवगंज की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	119271800	27.06.2024	28.06.2024	03.30 पी.एम. से 05.30 पी. एम.
23	71	खनि अभियन्ता सिरोही	जिला सिरोही की तहसील पिण्डवाड़ा, रेवदर एवं आबुरोड़ में खनिज मेसेनरी स्टोन एवं लाईम स्टोन (केशर) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन व लाईमस्टोन (केशर)	ईआरसीसी	मेसेनरीस्टोन एवं लाईम स्टोन (केशर)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	31477200	27.06.2024	28.06.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.
24	183	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	जिला शाहपुरा की तहसील जहाजपुर, काछोला, कोटड़ी, बनेड़ा व जिला भीलवाड़ा की तहसील भीलवाड़ा, माण्डलगढ़, हमीरगढ़ व सवाईपुर की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, पायरोफलाईट, डोलोमाईट, चाईनाक्ले, रेड ऑकर व येलो ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, पायरोफलाईट, डोलोमाईट, चाईनाक्ले, रेडऑकर व येलो ऑकर	ईआरसीसी	सोपस्टोन, पायरोफलाईट, डोलोमाईट, चाईनाक्ले, रेडऑकर व येलो ऑकर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	191687900	27.06.2024	28.06.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.
25	236	खनि अभियन्ता, राजसमंद-II	जिला राजसमंद की तहसील राजसमन्द, कुम्भलगढ़, कुंवारिया, गढबोर, नाथद्वारा, खमनोर, देलवाड़ा एवं रेलमगरा की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	32340200	22.07.2024	23.07.2024	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर
26	245	खनि अभियन्ता, राजसमंद-II	जिला राजसमंद की तहसील नाथद्वारा, खमनोर व देलवाड़ा की राजस्व सीमा में खनिज लाईम स्टोन (बर्निंग एवं चिप्स) एवं मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाईम स्टोन (बर्निंग एवं चिप्स) एवं मार्बल (SMS GRADE (L.D. GRADE) incidental to Other grade of Limestone को छोड़ते हुए)	ईआरसीसी	लाईम स्टोन (बर्निंग एवं चिप्स) एवं मार्बल (SMS GRADE (L.D. GRADE) incidental to Other grade of Limestone को छोड़ते हुए)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	19181300	22.07.2024	23.07.2024	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.06.14 19:15:08 IST
Reason: Approved

27	162	खनि अभियंता, बूंदी-खण्ड द्वितीय	जिला बून्दी की तहसील-हिण्डोली एवं नैनवा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज-रेड ऑकर, यलो ऑकर, क्वार्ट्ज एवं चाईना क्ले	ईआरसीसी	रेड ऑकर, यलो ऑकर, क्वार्ट्ज एवं चाईना क्ले	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	4260600	22.07.2024	23.07.2024	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम.
28	189	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील साबला एवं आसपुर को छोड़कर शेष संपूर्ण जिला डूंगरपुर की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन	ईआरसीसी	सोपस्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	26709700	22.07.2024	23.07.2024	02.30 पी.एम. से 04.30 पी. एम.
29	181	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़ की तहसील कपासन, भुपालसागर एवं राशमी की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्ट्ज, फ़ैल्सपार व केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्ट्ज, फ़ैल्सपार व केलसाईट	ईआरसीसी	क्वार्ट्ज, फ़ैल्सपार व केलसाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	20005000	22.07.2024	23.07.2024	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.

(अ) महत्वपूर्ण शर्तें—

- ई-नीलामी हेतु बोली वार्षिक ठेका राशि की ली जावेगी। विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 8 में वर्णित "ठेके की आरक्षित राशि" के उपर बोली प्रारंभ की जायेगी। सफल बोलीदाता की वार्षिक बोली 25 लाख रुपये तक होने पर प्रथम किश्त के रूप में बोली राशि का 25 प्रतिशत संविदा निष्पादन से पूर्व एवं शेष राशि संविदा के अनुसार अग्रिम रूप से तीन त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 25 लाख रुपये से अधिक है तो राशि संविदा अनुसार 12 समान किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त संविदा निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।
- ठेकों की वार्षिक राशि ई-नीलामी में प्राप्त होने वाली उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित की जावेगी। परंतु ठेका स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी स्वतंत्र होंगे। यदि रॉयल्टी/परमिट फीस या अन्य चार्ज (जो लागू हों) में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो उक्त परिवर्तन की तिथि से ठेका राशि में आनुपातिक बढ़ोतरी/ कमी की जायेगी।
- ठेका किस्तें अन्य को हस्तान्तरण / सबलेट तथा अर्द्धपण (सरेन्डर) नहीं किया जा सकेगा।
- ठेका अवधि में प्रभावी खननपट्टा/ क्वार्री लाईसेंस /परमिट के खण्डित/ सरेन्डर होने या नये स्वीकृत होने अथवा प्रभावी खननपट्टा के स्थिर भाटक में संशोधन होने/ न्यायालय / शासन / अन्य कारणों से खनन पट्टा /क्वारी लाईसेंस /परमिट के स्थायी या अस्थायी रूप से बंद कराये जाने या होने से वार्षिक ठेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- ठेकों में कोई भी व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी आदि बोली में भाग ले सकते हैं। परन्तु उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्ति तिथि के 15 दिवस में विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 35 व 36 के प्रावधानों अनुसार उच्चतम बोली राशि के अनुसार निर्धारित क्लास का प्रस्तुत करना होगा (न कि आरक्षित राशि के अनुसार)।
- वार्षिक ठेका राशि रुपये 10 करोड से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर कम्प्यूटराईज तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा।

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.06.14 19:15:08 IST
Reason: Approved

- 7 ई-नीलामी हेतु गार्डलाईन एवं ठेके की शर्तों का उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 (समय-समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है। ठेकेदार ठेके की सभी नियम/ शर्तों एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 व उसमें होने वाले संशोधनों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। साथ ही ठेकेदार को शासन अथवा विभागीय अधिकारी के निदेशों की पालना करनी होगी।
- 8 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता मेसर्स एम.एस. टी.सी. लि० की वेबसाईट mstcecommerce.com पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही मेसर्स एमएसटीसी लि० के पोर्टल पर पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा मेसर्स एमएसटीसी लि० के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 व ई-मेल आई डी mstcjaipur@mstcindia.co.in है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को मेसर्स एमएसटीसी लि० के प्लेटफार्म पर स्वयं ही पंजीयन करना होगा, जो कि ओटीपी बेस्ड है। पंजीयन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस राशि रुपये 10000/- व जी.एस.टी. मेसर्स एमएसटीसी लि० में जमा करानी होगी। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर बोलीदाता का लॉगइन बन जाता है। इसके लिए बोलीदाता को किसी प्रकार के दस्तावेज मेसर्स एमएसटीसी लि० में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(स) ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर मेसर्स एमएसटीसी लि० में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग-अलग अमानत राशि जमा कराये। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी। अमानत राशि ठेके की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होगी।
- 2 जिस ठेके में बोली प्राप्त होती है। उसमें भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओं की अमानत राशि ठेका समाप्ति के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट में बोलीदाता के वालेट में लौटा दी जावेगी। जिससे बोलीदाता लौटाई गई अमानत राशि को अन्य ठेके की बोली में भाग लेने हेतु काम में ले सकता है। जिन ठेकों की बोली सायं 6:00 बजे के पश्चात् समाप्त होगी उनमें उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की बिड सिक्यूरिटी राशि उनके वालेट में बोली समाप्ति के अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक सेवा प्रदाता कंपनी (MSTC Ltd) द्वारा लौटाई जायेगी, क्योंकि सायं 6:00 बजे के पश्चात् किसी भी ठेके की बोली नये सिरे से प्रारंभ नहीं होगी।
- 3 अमानत राशि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।
- 4 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 5 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा मेसर्स एमएसटीसी लि० को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.06.14 09:15:08 IST
Reason: Approved

- 6 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में नियम 37(7)(ए) के अंतर्गत निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-
- i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई टेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी ना बकाया प्रमाण पत्र जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
 - ii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई टेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावें।
1. यदि बोलीदाता **Individual** (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
नोट—शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
 - iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
 - iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
 - v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
 - vi PAN card / GSTIN की प्रति।
 - vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राइविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
 - viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।
 - ix विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति (प्रस्तुत की गई बोली की क्लास अनुसार)
- 8 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उपरोक्त बिन्दु संख्या 7 अनुसार दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो नियम 37(7)(बी) के प्रावधानों अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा जमा अमानत राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों के लिए ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

(भगवती प्रसाद) IAS

निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.06.14 19:15:08 IST
Reason: Approved

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC IX)/2024/ई-06939

प्रतिलिपि :-

1- शाखा प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन मेसर्स एम. एस. टी. सी. लि0 की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-

अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द-I/ II/आमेर/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।

द- खनि अभियन्ता (याचिका), जयपुर/जोधपुर को निदेशालय के आदेश क्रमांक निदे/प.6(1)कास/प. केवियट/2024/1231 दिनांक 06-03-2024 के क्रम में सूचनार्थ।

य -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरू/ नीमकाथाना/सावर/ खेतड़ी।

(भगवती प्रसाद) IAS
निदेशक

RajKaj Ref
8047871

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.06.14 19:15:08 IST
Reason: Approved